न.ए-60011/20/2019-एमई/प्रशि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 22nd जुलाई, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में विद्यमान फील्ड वर्कर (पर्यावरण स्वच्छता) पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियम का प्रारुप तैयार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रुप दिए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एंजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी हितधारकों से इस संदर्भ में इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर टिप्पणियां/ सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ सुझाव पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/सुझाव अधोहस्ताक्षरित को कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली–110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.inको भेजी जायें।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक 2020

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, भर्ती नियम, **1990** को, जहां तक उनका संबंध फील्ड वर्कर (पर्यावरण स्वच्छता) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में फील्ड वर्कर (पर्यावरण स्वच्छता) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता- फील्ड वर्कर (पर्यावरण स्वच्छता) (समूह'ग' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रयोज्य होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्ग	वेतन मेट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फील्ड वर्कर (वातावरण स्वच्छता)	01 (एक)* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में लेवल-4 (चार)	लागू नहीं	आयु 27 (सत्ताईस) वर्ष से अधिक न हो (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की छूट) नोट: आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिले के पांगी उप-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख। उक्त पद के संबंध में यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्च्छता कार्य (वातावरण स्वच्छता) से संबंधित कार्य में डिप्लोमा सहित 12वीं उत्तीर्ण

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन ग्रेडों से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसका संघटक	भर्ती के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयेाग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष (सीधी भर्ती से आने वाले उम्मीदवारों के लिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	(i) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन लेवल-4 में केंद्र/राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्वच्छता कार्य (वातावरण स्वच्छता) से जुड़े कार्य में डिप्लोमा के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने की अर्हता के साथ 7वें सीपीसी के वेतन लेवल-3 में नियमित आधार पर नियुक्त होने के बाद 5 वर्ष की सेवा दे चुके कर्मचारी।	केवल फील्ड वर्कर (वातावरण स्वच्छता) के पद पर नियमितीकरण के लिए 1. अपर निदेशक, एआईआईएच एवं पीएच- अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के प्रोफेसर -सदस्य 3. निदेशक, एआईआईएच एवं पीएच द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ समूह 'क' अधिकारी- सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं